

कार्यालय ज्ञापन

विषय: iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सहभागिता को सुदृढ़ करने तथा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नियमित शिक्षण गतिविधियों को सुनिश्चित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोक सेवकों के सतत क्षमता निर्माण पर विशेष बल दे रही है। शिक्षण परिणामों को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों में विभाग की सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से जुड़ें तथा उस पर उपलब्ध शिक्षण गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लें।

2. सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए:

- iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उन्हें आवंटित शिक्षण योजनाओं को पूर्ण करना;
- निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवंटित पाठ्यक्रमों, मूल्यांकनों तथा दक्षता-आधारित शिक्षण पथों को पूरा करना;
- जहाँ लागू हो, अपनी प्रोफाइल, दक्षताओं तथा क्षमता निर्माण योजनाओं का नियमित अद्यतन एवं अनुरक्षण करना;
- मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत संचालित क्षमता निर्माण पहलों में सक्रिय सहभागिता करना; तथा
- iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर प्रति माह कम से कम एक घंटे की शिक्षण गतिविधि पूर्ण करना।

3. सभी प्रभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन निर्देशों को विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तक प्रसारित करें तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर नियमित शिक्षण गतिविधियाँ करने और उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित करें। वे शिक्षण प्रगति तथा पाठ्यक्रम पूर्णता की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा के लिए उपयुक्त निगरानी व्यवस्था भी स्थापित करें।

4. उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य सतत शिक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देना, संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना तथा मिशन कर्मयोगी ढाँचे के अंतर्गत विभाग के समग्र प्रदर्शन में सुधार करना है।

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

पंकज
24/06/2026

(पंकज कुमार सिन्हा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23382779

सेवा में,

- वरिष्ठ पीपीएस, सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग (AHD)।
- वरिष्ठ पीपीएस/पीपीएस, एस (C&DD)/एस (LH/Admin)/AHC/संयुक्त सचिव (NLM)/सांख्यिकीय सलाहकार।
- अध्यक्ष एवं सीबीयू (CBU), डीएचडी के सभी सदस्य।
- सचिव, क्षमता निर्माण आयोग, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली।
- सदस्य (प्रशासन), क्षमता निर्माण आयोग, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली।
- अवर सचिव (C&DD)/अवर सचिव (AQCS/CEAH)/अवर सचिव (NLM)/अवर सचिव (LH) आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारी – ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड के माध्यम से।
- विभाग के सभी संबंधित एमडीओ (लीडर/प्रशासन) – आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- अवर सचिव (प्रशिक्षण), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), ब्लॉक-IV, पुराना जेएनयू परिसर, नई दिल्ली – 110064।
- डीएचडी के सभी अनुभाग अधिकारी, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच सतत शिक्षण सुनिश्चित करने के अनुरोध सहित।
- एनआईसी – विभाग के ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोड करने हेतु।